#### कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,वन एवं वन्य जीव प्रभाग,बरेली। पत्रांक २२५२ /14-1,बरेली,दिनांक, २९ नवम्बर,2022

सेवा मे,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, वन एवं वन्य जीव,बरेली वृत्त,बरेली।

बिषय:- जनपद बरेली में बरेली-बदायूँ मार्ग के चैनेज 0.800 से 5.100 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु प्रस्तावित 7.055 हे0 संरक्षित वन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति एवं बाधक 6125 वृक्षों पातन/ट्रान्सलोकेट की अनुमति के सम्बन्ध में।

(Online Proposal No. FP/UP/Road/147420/2021)

सन्दर्भ:— मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक 11सी—1649, दिनांक 10.11.2022 द्वारा प्राप्त भारत सरकार का पत्रांक 8बी / यूपी / 06 / 38 / 2022 / एफ०सी० / 673, दिनांक 07.11.2022 ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्रों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 07.11. 2022 के द्वारा विषयक मामले में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों के सापेक्ष प्रस्तावक विभाग द्वारा अक्षरशः अनुपालन आख्या प्रेषित की गयी है। (संलग्नक—1) प्रस्तावक विभाग से प्राप्त अनुपालन आख्या के अनुसार सहमति सहित अनुपालन आख्या निम्नवत् नियत प्रारूप में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है—

शर्त	शर्त	शर्त के सापेक्ष अनुपालन आख्या
संख्या		
01	02	03
01	The legal status of the land shall remain unchanged.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक–1)
02	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 14.11 ha. degraded forest land in Protected Forest Bareilly-Pilibhit Road km. 332-335 Bareilly 10 ha. in Nawadiya Banki compartment no. 05-08 in Range Beoria in Pilibhit at the cost of the user agency. As far as possible a misture of local indiagenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	उपरोक्त शर्त के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आंकलित धनराशि मु०रू० 24,75,800.00 ऑनलाईन उत्पन्न चालान द्वारा कैम्पा मद में जमा कर दी गयी है। ऑनलाईन पेमेन्ट हिस्ट्री की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक—2)
03	The cost of Compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा।
04	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 7.055 ha. forest area to be diverted under this proposal from the user agency as per the orders of the Hon'ble Supreme	उपरोक्त शर्त के अनुपालन में प्रस्तावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य की आंकलित धनराशि मु०रू० 95,74,411 .00 ऑनलाईन उत्पन्न चालान द्वारा कैम्पा मद में जमा कर दी गयी है।

	Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003 as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009.  Revised amount of NPV as applicable as per	
	orders dated 06-01-2022 and 19-01-2022 shall be deposited by User Agency in this regard.	
05	Additional amount of the NPV of the diverted	
05	forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक—3)
	India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	
06	User agency shall restrict the felling of trees to	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा। उक्त आशय
	6125 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the	की वचनबद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक–4)
	strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the user agency with the State Forest Department.	
07	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा। उक्त आशय का प्रमाण पत्र पूर्व में प्रस्ताव अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।
80	No violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक—5)
09	Plantation shall be raised on both sides of the road and median (if available) by the State Forest Department at the cost of User Agency as per submitted scheme according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the matter of Babulai Jaju v/s State of Rajasthan and others dated 16.11.2015.	उपरोक्त शर्त के अनुपालन में पटरी वृक्षारोपण हेतु वाँछित धनराशि मु०क्त० ४९,७११,२०३.०० ऑनलाईन उत्पन्न चालान द्वारा कैम्पा मद में जमा कर दी गयी है।
10	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/ Forest Area.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक–6)
11	The User Agency shall provide suitable under/over pass in Protected Area/ Forest Area as per recommendation of CWLW/NBWL/FAC/REC.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक–7)
12	User agency shall obtain Environmental Clearance	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा।
,	as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	31711
13	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक–8)
14	No labour camp shall be established on the forest land.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक–9)

		1		
15		शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा।		
	shall be provided by the User Agency to the			
3	labourer after purchasing the same from the State			
a ja	Forest Department or the Forest Development			
	Corporation or any other legal source of alternate			
	fuel.			
16	The boundary of the diverted forest land shall be	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा। उक्त आशय		
	suitably demarcated on ground at the project	की वचनबद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।		
	cost, as per the directions of the concerned	(संलग्नक—10)		
	Divisional Forest Officer.			
17	No additional or new path will be constructed	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा। उक्त आशय		
	inside the forest area for transportation of	की वचनबद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।		
	construction materials for execution of the project	(संलग्नक—11)		
	work.			
18	The Period of diversion under this approval shall	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा। उक्त आशय		
	be co-terminus with period of lease to be granted	की वचनबद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।		
	in favour of the user agency or the project life,	(संलग्नक—12)		
	whichever is less.			
19	The forest land shall not be used for any purpose	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा। उक्त आशय		
	other than that specified in the project proposal.	की वचनबद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।		
		(संलग्नक—13)		
20	The forest land proposed to be diverted shall	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा। उक्त आशय		
	under no circumstances be transferred to any	की वचनबद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।		
	other agencies, department or person without	(संलग्नक—14)		
	prior approval of Govt. of India.			
21	The KML file of the area to be diverted, The CA	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया । जायेगा।		
	areas the proposed SMC work, the proposed			
	Catchment Area Treatment area and the WLMP	*		
	area shall be uploaded in the e-green watch portal			
	with all requisite details before commencement of			
	works.			
22	CA should be proposed on 14.1 ha. only	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा। क्षतिपूरक		
	accordinagly revised CA scheme for 10 ha. PF in	वृक्षारोपण प्रांक्कलन संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।		
	Saharanpur Range Haldukhata 4 Najiwabad Bijnor	(संलग्नक—15)		
	Forest Division and 7 ha. in Badhapur			
	Dhakiabawan Saray 2 needs to be submitted and			
	accordingly money needs to be deposited in			
	CAMPA.	, 00 ( ) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
23	Density of 0.4 needs to be rectified in part II of the	उपरोक्त वर्णित शर्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि		
	proposal.	प्रस्ताव की ऑनलाईन वर्तमान स्थिति In-Principle		
		होने के कारण घनत्व में संशोधन नहीं हो पा रहा है।		
		प्रस्तावित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य का आंकलन		
		संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-16)		
24	Any order of Temporary Work Permission in case	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा।		
- ·	of linear projects for tree cutting and			
60	commencement of work as per clause 11.2 of FCA			
	Guidelines shall be passed under intimation to	7 -		
	Nodal office and this office. Order of Temporary			
	Work Permission have to be uploaded on Parivesh			
	Portal as well Nodal officer will strictly monitor			
	Portal as well Nodal officer will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out			
	and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year			

	25	Violation of any of these conditions will amount to	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा।
		violation of Forest (Conservation) Act. 1980 and	
		action would be taken as per the MoEF&CC	* **
	10.1	Guideline F.No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.	
	26	Any other condition that the Ministry of	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा। उक्त आशय
		Environment, Forests & Climate Change may	की वचनबद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
		stipulate from time to time in the interest of	(संलग्नक—17)
		conservation, protection and development of	
		forests & wildlife.	i
	27	All the funds received from the User Agency under	शर्त का अक्षरशः अनुपालन करायां जायेगा।
		the project shall be transferred/deposit to CAMPA	
		fund only thorough e-portal	
		(http://parivesh.nic.in/).	
	28	The compliance report shall be uploaded on e-	शर्त का अक्षरशः अनुपालन कराया जायेगा।
		portal (https://parivesh.nic.in/)	
-		L. C.	

#### प्रारूप-2

शर्त्.संख्या	भारत सरकार की इंगित शर्त	अनुपालन आख्या / प्रतिउत्तर की स्थिति
01	02	03
02	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि	24,75,800.00
	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की जमा धनराशि	24,75,800.00
	धनराशि में अंतर	_ 3
	अंतर का कारण	-
04	एनपीबी की धनराशि	95,74,411.00
	एनपीबी की जमा धनराशि	95,74,411.00
	धनराशि का अंतर	_
	अंतर का कारण	_
09	अन्य जमा धनराशि	49,71,203.00
-	कैम्पा द्वारा सुनिश्चित	

उपरोक्त अनुपालन आख्या संलग्नको की चार—चार प्रतियाँ सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। संलग्नक—यथोपरि।

भवदीय


( समीर कुमार )

प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली।

पत्रांक रीपर / १४–१, दिनांकित ।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-भवन, लोक निर्माण विभाग,बरेली।

( समीर कुमार ) प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली।



सेवा मे,

प्रभागीय वनाधिकारी. वन एवं वन्य जीव प्रभाग,बरेली।

बिषय:-

जनपद बरेली में बरेली-बदायूँ मार्ग चैनेज 0.800 से 5.100 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु प्रस्तावित 7.055 हैं0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमित एवं बाधक 6125 वृक्षों के पातन / ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के सम्बन्ध में।

(Online Proposal No.FP/UP/Road/147420/2021)

सन्दर्भ:-महोदय,

आपका पत्रांक 2025 / 14-1, दिनांक 11.11.2022 |

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। भारत सरकार के पत्रांक 8बी / यूपी / 06 / 38 / 2022 / एफ0सी0 / 673, दिनांक 07.11.2022 के द्वारा विषयक मामले में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है। सेद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों के सापेक्ष अक्षरशः अनुपालन आख्या निम्नवत प्रेषित की जा रही है। —

शर्त संख्या	शर्त	शर्त के सापेक्ष अनुपालन आख्या
01	02	03
01	The legal status of the land shall remain unchanged.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक–1)
02	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 14.11 ha. degraded forest land in Protected Forest Bareilly-Pilibhit Road km. 332-335 Bareilly 10 ha. in Nawadiya Banki compartment no. 05-08 in Range Beoria in Pilibhit at the cost of the user agency. As far as possible a misture of local indiagenous species shall be planted and monoculture of any	उपरोक्त शर्त के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आंकलित धनराशि मु०रू० 24,75,800.00 ऑनलाईन उत्पन्न चालान द्वारा कैम्पा मद में जमा कर दी गयी है। ऑनलाईन पेमेन्ट हिस्ट्री की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक–2)
	species may be avoided.	
03	The cost of Compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।
04	The State Government shall charge the Net	उपरोक्त शर्त के अनुपालन में प्रस्तावित वन भूमि का शुद्ध

	Present Value (NPV) for the 7.055 ha. forest area to be diverted under this proposal from the user agency as per the orders of the Hon'ble Supreme	वर्तमान मूल्य की आंकलित धनराशि मु०रू० 95,74,411 .00 ऑनलाईन उत्पन्न चालान द्वारा कैम्पा मद में जमा कर दी गयी है।
	Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA	
	No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the	
	guidelines issued by the Ministry vide letters No.	
	5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003 as well as	
	letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009.	
	Revised amount of NPV as applicable as per	
	orders dated 06-01-2022 and 19-01-2022 shall be	
	deposited by User Agency in this regard.	
05	Additional amount of the NPV of the diverted	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा। उक्त आशय
	forest land, if any, becoming due after finalization	की वचनबद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
	of the same by the Hon'ble Supreme Court of	(संलग्नक—3)
	India on receipt of the report from the Expert	
	Committee, shall be charged by State Government	
	from the User Agency. The User Agency shall	
	furnish an undertaking to this effect.	
06	User agency shall restrict the felling of trees to	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा। उक्त आशय
	6125 trees/minimum numbers in the diverted	की वचनबद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
	forest land and the trees shall be felled under the	(संलग्नक-4) ै
	strict supervision of the State Forest Department	
	and the cost of felling of trees shall be deposited	
	by the user agency with the State Forest	
	Department.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा। उक्त आशय
07	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from	का प्रमाण पत्र पूर्व में प्रस्ताव अन्तर्गत प्रेषित किया गया
	the concerned District Collector.	वे
00	No violation of FCA certificate from concerned	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा। उक्त आशय
80	DFO shall be provided.	की वचनबद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
	Di o silali be provided.	(संलग्नक–5)
00	Plantation shall be raised on both sides of the	उपरोक्त शर्त के अनुपालन में पटरी वृक्षारोपण हेतु वाँछि
09	road and median (if available) by the State Forest	धनराशि मु०रू० ४९,७७,७०० ऑनलाईन उत्पन्न चालान
	Department at the cost of User Agency as per	द्वारा कैम्पा मद में जमा कर दी गयी है।
	submitted scheme according to IRC guidelines and	
	order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the	
	matter of Babulai Jaju v/s State of Rajasthan and	
	others dated 16.11.2015.	
10	Speed regulating signage will be erected along the	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा। उक्त आशय
	road at regular intervals in the Protected Areas/	की वचनबद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
	Forest Area.	(संलग्नक—6)
11	The User Agency shall provide suitable under/over	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा। उक्त आशय
y	pass in Protected Area/ Forest Area as per	की वचनबद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
	recommendation of CWLW/NBWL/FAC/REC.	(संलग्नक–7)
12	User agency shall obtain Environmental Clearance.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

y



.

1	(Protection) Act, 1986, if applicable.	
13	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक–8)
14	No labour camp shall be established on the forest land.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक–9)
15	Sufficient firewood preferably the alternate fuel shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।
16	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक–10)
17	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक—11)
18	The Period of diversion under this approval shall be co-terminus with period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक—12)
19	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक–13)
20	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा। उक्त आशय की वचनबद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक–14)
21	The KML file of the area to be diverted, The CA areas the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded in the e-green watch portal with all requisite details before commencement of works.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।
22	CA should be proposed on 14.1 ha. only accordinagly revised CA scheme for 10 ha. PF in Saharanpur Range Haldukhata 4 Najiwabad Bijnor Forest Division and 7 ha. in Badhapur Dhakiabawan Saray 2 needs to be submitted and accordingly money needs to be deposited in	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।
23	CAMPA.  Density of 0.4 needs to be rectified in part II of the proposal.	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

Yes



		S. Pro-	
1	of linear projects for tree cutting and		
	commencement of work as per clause 11.2 of FCA		
	Guidelines shall be passed under intimation to		
	Nodal office and this office. Order of Temporary		
	Work Permission have to be uploaded on Parivesh		
	Portal as well Nodal officer will strictly monitor		
	and ensure that no further activity is carried out		
	under such permission after the expiry of one year		
	from the state of issue of such permission.		
25	Violation of any of these conditions will amount to	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।	
	violation of Forest (Conservation) Act. 1980 and		
	action would be taken as per the MoEF&CC		
	Guideline F.No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.		
26	Any other condition that the Ministry of	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा। उक्त आश	य
	Environment, Forests & Climate Change may	की वचनबद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।	
	stipulate from time to time in the interest of	(संलग्नक—15)	
	conservation, protection and development of		
	forests & wildlife.		
27	All the funds received from the User Agency under	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।	-
	the project shall be transferred/deposit to CAMPA		
	fund only thorough e-portal	0	
	(http://parivesh.nic.in/).		
28	The compliance report shall be uploaded on e-	शर्त का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।	
	portal (https://parivesh.nic.in/)		
		क कार्य का जीती मानतों देव भारत	

उक्त के सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए लीनीयर प्रसतवों हेतु भारत-सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुसार समुचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड—भवन, लो०नि०वि०,बरेली।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बरेली में बरेली—बदायूँ मार्ग चैनेज 0.800 से 5.100 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु प्रस्तावित 7.055 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमित एवं बाधक 6125 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमित सम्बन्धी प्रस्ताव अन्तर्गत वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

प्रभागीय निवेशक गमाजिक वानिकी प्रभाग अधिशासी अभियन्ता

				Online p	ayment history	made by User Ag	ency unde	er CAMPA	
▽ Help									
Sno. Pı	roposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN- PRINCIPLE	Amount to be Pai	d/Amount Paid (ir	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
Pr to of ol	P/UP/ROAD/147420/2021  "/viewreport.aspx?  id=FP/UP/ROAD/147420/2021)  roposed Protected Forest Land be diverted for development f Road Widening four lan along id road Carriage Way from km .800 to 5.100 of Bareilly Cantt load in District - Bareilly (U.P.)	* *	61147420262		PCA: 0/-, Safety 0/-, Zone: 0/-, Other Charges1 0/-: Other Charges2 0/-: Other Charges3 0/-:	CAT: 0/- Add PA: 0/- Road Side Plantation 4971203	Peid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Of India Mode of Payment Challan Generated On Transaction 19 Nov Date 16 Nov 2022 19 Nov 2022	
FF co	P/UP/Others/47699/2020/viewreport.aspx? sid=FP/UP/Others/47699/2020 Forest Land Proposed to be diverted for construction of drain at Bareilly-Rampur Road Ch. 239,335 to 239,900 (565m from Mathurapur Tiraha main road to Durga mandir Tehsilsadar, Distt-Bareilly UP		01994769958	027 Nov 2020	Total: 1702141 CA: 369692 PCA: 0/-, Safety 0/-, Zone: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Charges3: 0/- Charges3: 44396	//- , Addi CA : 0/- CAT : 0/- Addi PA : 0/- Other 0/- Charges : 0/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Mode of NEFT/RT Payment (Challan) Challan 28 Dec Generated On 16 Dec Date 2020	GS

BHARAT (HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/)



(WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)



(HTTPS://DATA.GOV.IN/)

india.gov.in (HTTPS://INDIA.GOV.IN/)

(HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)



(HTTP://MEITY.GOV.IN/)



(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/)

(HTTP://WWW.NIC.IN/)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (Accessibilitystatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in



प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मन्त्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या— एफ०एन० 5—3/2011 एफ० सी०, (Vol-1) दिनांक 06.01.2022 द्वारा 30 वर्षों के लिए वन भूमि के हस्तान्तरण/गैर वानिकी प्रयोग हेतु निर्धारित नेट प्रजेन्ट वैल्यू (एन०पी०वी०) दरों के अनुसार धनराशि को लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग को ई—पोर्टल से उत्पन्न ई—चालान द्वारा माध्यम से भुगतान कर दिया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त दरों में बढ़ोत्तरी हाने पर भी धनराशि का भुगतान कर दिया जायेगा।

पभागीय निदेशक गमाजिक वानिकी प्रभाग बरेली अधिशासी अभियन्ता

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बरेली में बरेली—बदायूँ मार्ग चैनेज 0.800 से 5.100 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु प्रस्तावित 7.055 हे0 संरक्षित वन. भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमित एवं बाधक 6125 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमित सम्बन्धी प्रस्ताव अन्तर्गत वृक्षों की कटाई को न्यूनतम सीमा तक सीमित रखा जायेगा तथा वृक्षों को वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में काटा जायेगा एवं वृक्षों की कटाई की लागत वहन करने की भी वचनबद्धता व्यक्त की जाती है।

नगान नवहरी गमाजिक वानिकी प्रभाग **बरेली**  अधिशासी अभियन्ता

प्रभागीय वनाधिकारी

वन एवं वन्य जीव प्रभाग बरेली

नामाजिक वानिकी प्रभाग

जिंक वानिका प्र भू बरेली अधिशासी अभियन्ता

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बरेली में बरेली—बदायूँ मार्ग चैनेज 0.800 से 5.100 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु प्रस्तावित 7.055 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमित एवं बाधक 6125 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमित सम्बन्धी प्रस्ताव अन्तर्गत प्रभावित संरक्षित क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलैटिंग साइनेज लगाए जाने की वचनबद्धता व्यक्त की जाती है।

प्भागाय निदेशक गमाजिक वानिकी प्रभाग बरेली अधिशासी अभियन्ता

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बरेली में बरेली—बदायूँ मार्ग चैनेज 0.800 से 5.100 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु प्रस्तावित 7.055 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमित एवं बाधक 6125 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमित सम्बन्धी प्रस्ताव अन्तर्गत CWLW/NBWL/FAC/REC की सिफारिश के अनुसार उपर्युक्त अण्डर पास/ओवर पास प्रदान किये जाने की वचनबद्धता व्यक्त की जाती है।

अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड-भवन, लो०नि०वि०,बरेली।

प्रभागीय निवेशक नामाजिक वानिकी प्रभाग

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बरेली में बरेली-बदायूँ मार्ग चैनेज 0.800 से 5.100 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु प्रस्तावित 7.055 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमित एवं बाधक 6125 वृक्षों के पातन / ट्रान्सप्लान्ट की अनुमित सम्बन्धी प्रस्ताव अन्तर्गत केन्द्र सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।

> पभागांस निदेशक नामाजिक वानिकी प्रभाग

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बरेली में बरेली—बदायूँ मार्ग चैनेज 0.800 से 5.100 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु प्रस्तावित 7.055 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमित एवं बाधक 6125 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमित सम्बन्धी प्रस्ताव अन्तर्गत वन भूमि पर कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।

पभागाय निदेशक गमाजिक वानिकी प्रभाग अंक्रेली अधिशासी अभियन्ता

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बरेली में बरेली—बदायूँ मार्ग चैनेज 0.800 से 5.100 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु प्रस्तावित 7.055 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमित एवं बाधक 6125 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमित सम्बन्धी प्रस्ताव अन्तर्गत वन भूमि को सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार परियोजना लागत पर उपयुक्त रूप से सीमांकित किये जाने की वचनबद्धता व्यक्त की जाती है।

प्रभागीय निदेशक गमाजिक वानिकी प्रभाग बनेकी अधिशासी अभियन्ता

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बरेली में बरेली—बदायूँ मार्ग चैनेज 0.800 से 5.100 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु प्रस्तावित 7.055 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमित एवं बाधक 6125 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमित सम्बन्धी प्रस्ताव अन्तर्गत परियोजना कार्य के निष्पादन एवं निर्माण सामग्री के परिवहन हेतु वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त अथवा नवीन पथ का निर्माण नहीं किया जायेगा।

भ प्रभागीय निदेशक गमाजिक वानिकी प्रभाग

अधिशासी अभियन्ता

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बरेली में बरेली—बदायूँ मार्ग चैनेज 0.800 से 5.100 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु प्रस्तावित 7.055 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमित एवं बाधक 6125 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमित सम्बन्धी प्रस्ताव अन्तर्गत इस अनुमोदन के तहत व्यपवर्तन की अवधि प्रयोक्ता एजेन्सी या परियोजना जीवन के पक्ष में दी जाने वाली पट्टे की अवधि, जो भी कम हो, के साथ सह—टर्मिनस होगी।

प्रभागीय निवेशक गमाजिक वानिकी प्रभाग प्रविन्ती अधिशासी अभियन्ता

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बरेली में बरेली—बदायूँ मार्ग चैनेज 0.800 से 5.100 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु प्रस्तावित 7.055 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमित एवं बाधक 6125 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमित सम्बन्धी प्रस्ताव अन्तर्गत वन भूमि का उपयोग परियोजना प्रस्ताव में निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।

प्भागाय निदेशक ग्रामाजिक वानिकी प्रभाग

अधिशासी अभियन्ता

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बरेली में 100 फिटा रोड तिराहे से पीलीभीत मोड तिराहे तक चैनेज 45.500 से 49.100 (3600 मी०) चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु प्रस्तावित 4.464 हे0 संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग की अनुमित एवं बाधक 303 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमित सम्बन्धी प्रस्ताव अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में भारत सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना अन्य किसी एजेन्सी, विभाग व व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

प्रभागीय निवेशक गामाजिक वानिकी प्रभाग अवन्ती अधिशासी अभियन्ता